

सार-समाचार

आचार संहिता के बीच अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई, 89 पव्ते जब्त

मुकुंदगढ़ (निसं)। पंचायत आम चुनाव–2026 की आदर्श आचार संहिता के दौरान अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ मुकुंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 89 पव्ते अवैध देशी शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से हेमसिंह पुत्र शेरसिंह (4०) , निवासी नाहरसिंघानी, थाना मुकुंदगढ़ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देवेंद्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन, नवलगढ़ वृत्ताधिकारी सुगन सिंह के सुपरविजन तथा मुकुंदगढ़ थानाधिकारी गोपालसिंह थालोर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम को मुखबिर् से सूचना मिली थी कि नाहरसिंघानी से केरू जाने वाले रास्ते पर अवैध रूप से देशी शराब बेची जा रही है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर हेमसिंह को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 89 पव्ते अवैध देशी शराब बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में मुकुंदगढ़ थानाधिकारी गोपालसिंह थालोर, एएसआई कुलदीप सिंह, एएसआई सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल रवि कुमार तथा कांस्टेबल शिवप्रसाद शामिल रहे।

रतनगढ़ में सीवरेज परियोजना पर सामुदायिक बैठक आयोजित

रतनगढ़ (निसं)। आरयूआईडीपी की ओर से वार्ड 1० स्थित रैगर बस्ती के गंगा माता मंदिर परिसर में सीवरेज परियोजना को लेकर सामुदायिक बैठक आयोजित हुई। पापंद जुगल किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जयपुर कैप से आए डिउटी टीम लीडर अनिल सिंह एवं सामुदायिक विशेषज्ञ सौरभ पांडे ने परियोजना की प्रगति, घरलू कनेक्शन के लाभ एवं जनभागीदारी की जानकारी दी।पार्श्व व मोल्लेवासीयों ने शेष घरों को शीघ्र सीवरेज कनेक्शन से जोड़ने की मांग की। अनिल सिंह ने शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर एवं नगरपालिका स्थित उपभोक्ता सेवा केंद्र की जानकारी दी। बैठक का संचालन प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया।

सेवा सेतु अभियान में आवासन मंडल की विभिन्न छूटों का लाभ 16 तक

हनुमानगढ़ (निसं)। सेवा सेतु अभियान–2०26 के तहत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटियों को विभिन्न प्रकार की छूट एवं सुविधाएं 16 अक्टूबर, 2०26 तक उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (इंडब्ल्यूएन) एवं अल्प आय वर्ग (एएसआईजी) के ऐसे आवटी, जिन्होंने मासिक किस्त समय पर जमा नहीं कराई है, उन्हें ब्याज एवं शास्ति में 1०0 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। आवासन मंडल के सभी श्रेणी के आवसतों पर लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर बकाया लीज राशि में 6० प्रतिशत छूट तथा लीज राशि पर शास्ति में 1०0 प्रतिशत छूट दी जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल, हनुमानगढ़ के आवासीय अभियंता विनोद पचार ने बताया कि मंडल द्वारा पंजीयन के बाद किए जाने वाले नामांतरण पर शुल्क पर भी 5० प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्व में मासिक किस्त समय पर जमा नहीं करने वाले आवंटियों को आवासन मंडल की ओर से समय–समय पर नोटिस जारी किए गए थे। अब सेवा सेतु अभियान के तहत ऐसे आवंटियों को ब्याज एवं शास्ति में छूट का लाभ दिया जा रहा है।

784 गर्भवती और 3426 बच्चों को जीवनरक्षक टीके लगाए

सीकर (निसं)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले की गर्भवती महिलाओं की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग की ओर से गुरुवार को मनाए गए मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों ने गर्भवती की सेहत का परीक्षण किया। वहीं बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाए गए। जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने टीकाकरण स्थल व चिकित्स संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाना का जायजा लिया। जिला प्रस्थान एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विशााल सिंह ने बताया कि एमसीएएनय दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चों को पीलिया, टीबी, हैपेटाइटिस बी, गलघोंटू, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, मैनिनजाइटिस खसरा और रुबेला, रोटा, दर्प्त आदि रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए और गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गुरुवार को जिले में 4०5 टीकाकरण सेशन पर 784 गर्भवती महिलाओं तथा 3 हजार 426 बच्चों को टीके लगाए गए।

छात्र आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग

तारानगर (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ शाखा ने गुरुवार को निजी स्कूल में अध्ययनरत छात्र तरुण मेघवाल पर स्वास्थ्य प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने, दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने व पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वाली में संगठन अध्यक्ष भगवानराम चोेटड़, जेठाराम पटीर, सुरेश जोईया, कालीराम मेघवाल, राजेश कलिया, प्रताप कलिया, विनोद मेहरा, ग्यारसीलाल गोडवाल, हरपाल सिंह, धर्मेन्द्र रोलन, सुनील खींची, मुकेश छापरवाल, मुंशीलाल मेहरा, ताराचंद, धर्मपाल, गिरधारी बालिया आदि शामिल थे।

सीकर जिले में मकान मालिक ने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया

सीकर (निसं)। सीकर जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक ही है, जिससे 3 दिन तक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर रेप किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले को जांच कर रही है। 15 साल की नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह पिछले करीब 2 साल से सीकर जिले में एक किराए के मकान पर अपनी 15 साल की बेटी के साथ रहती है। हाल ही में उनका मकान मालिक उनकी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया था। बेटी उसके चंगुल से बचकर आई। इसके बाद वह सहमी सी रही। इसके बाद जब मां ने उससे पूछा तो उसने बताया कि अंकल उसे अपने साथ लेकर गए और 3 दिन तक बंधक बनाकर एक जगह रेप किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस ने पॉक्सो संहिता अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी मकान मालिक के एक साथी ने भी इस वारदात में उसका सहयोग किया। इसके खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले को जांच रैंक के ऑफिसर कर रहे है।

संत की मौत में हत्या का मामला दर्ज एवं जांच शुरू

रतनगढ़ (निसं)। रतनगढ़ तहसील के गांव सांगसर में दो संतों के बीच हुए विवाद के बाद एक संत की मौत के मामले में गुरुवार को करीब 5० घंटे बाद शव को समाधि से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों में रखवाया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार हरियाणा के सिरसा जिले के धौलपालिया निवासी हंसराज ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई ब्रह्मनाथ वर्ष 2००4 में संन्यास लेकर सन्न्या बन गया था। वह रातसर स्थित बालकनाथ के आश्रम में रह रहा था। बाद में उसे सांगसर स्थित बजरंगनाथ के पास छोड़ दिया गया। परिजनों का संपर्क नहीं होने पर जानकारी जुटाई गई तो ब्रह्मनाथ की मौत होने की बात सामने आई। रिपोर्ट में मारपीट कर हत्या करने

- संत की मौत के मामले में 50 घंटे बाद समाधि से शव निकाला, शव को समाधि से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया**

तथा बिना परिजनों को सूचना दिए शव को समाधि देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बालकनाथ, बजरंगनाथ, मुकेशनाथ, लूण्णाथ, लक्ष्मीनारायण सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। शव निकालने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने सालासर सड़क मार्ग पर जाम भी लगाया था। पुलिस की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया।

झुंझुनूं में उपभोक्ता न्याय के प्रहरी बने मनोज कुमार मील

झुंझुनूं (निसं)। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और त्वरित न्याय के संकल्प के साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठान आयोग, झुंझुनूं में लगातार न्यायिक सेवा दे रहे आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने 25०० दिवस की सेवा–न्यायिक कार्यावधि पूरी कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान मील के कार्यक्रम में 5०58 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। उनकी इस उपलब्धि पर गुरुवार को जागरूक उपभोक्ताओं और युवाओं ने आयोग परिसर में रंगोली बनाकर आभार जताया।

मनोज कुमार मील ने 4 दिसंबर 2०19 को जिला उपभोक्ता आयोग, झुंझुनूं में सदस्य के रूप में शपथ लेकर कार्यभार संभाला था। करीब साढ़े तीन वर्ष तक सदस्य के रूप में सेवाएँ देने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अभिशंषा पर राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के नियुक्ति आदेश के तहत 14 मार्च 2०23 को उन्होंने इसी आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया तथा संविधान की शपथ ली। सदस्य से उसी आयोग के

सिंहोड़ को पंचायत समिति में शामिल करने पर विरोध

खेतड़ी (निसं)। नवगठित पंचायत समिति बबाई में ग्राम पंचायत सिंहोड़ को शामिल किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में राजीविका महिला सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सिंहोड़ ग्राम पंचायत को पंचायत समिति खेतड़ी में ही यथावत रखने की मांग की। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत सिंहोड़ वर्तमान में पंचायत समिति खेतड़ी के अधीन आती है। अब नवाटिठ पंचायत समिति बबाई में सिंहोड़ को शामिल करने का प्रस्ताव सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंहोड़ को बबाई पंचायत समिति में शामिल करने से क्षेत्र के लोगों को परेशानियां बढ़ जाएंगी। उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, प्रमाण–पत्र बनवाने तथा पंचायत समिति स्तर के अन्य कार्यों के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी।

शेखावाटी साहित्य संगम में मातृशक्ति से राष्ट्ररक्षा तक पर मंथन

सीकर (निसं)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को झुंझुनूं के न्यू राजस्थान बालिका महाविद्यालय में ‘शेखावाटी साहित्य संगम–2०26’ का आयोजन हुआ। साहित्य एवं संस्कृति के इस संगम में महिला सशक्तिकरण, मातृशक्ति के योगदान, राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं की जिम्मेदारी जैसे विषयों पर वक्तोंओं ने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान शेखावाटी की गौरवशाली परंपराओं से लेकर बदलते सामाजिक परिवेश और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मानसिंह, गेंदराला, डॉ. शुचि चौहान, डॉ. रोहित जैन, शिक्षाविद् गुलजरीलाल कालेर, लोकेश एवं दुर्गावती ने दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमैद कुल्हार ने किया। पहले सत्र में सुबह 1०:15 बजे ‘महिला सशक्तिकरण बदलाव की एक नई दिशा’ विषय पर संवाद हुआ। सत्र का संचालन सरोज ने

- महिला सशक्तिकरण, शेखावाटी की गौरवशाली परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं की भूमिका पर वक्तोंओं ने विचार रखे**

किया। शिक्षाविद् एवं सामाजिक विचारक डॉ. रोहित कुमार जैन तथा शिक्षाविद् एवं लेखिका डॉ. शुचि चौहान ने महिला उथान और सशक्तिकरण की विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे।

वक्तोंओं ने शेखावाटी की मातृशक्ति के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं ने सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को समाज में सकारात्मक बदलाव का महत्वपूर्ण आधार बताया गया। सत्र में महिला सभान, अवसरों की समानता और समाज निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका पर भी विचार–विमर्श हुआ। दूसरे सत्र का विषय ‘रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं की जिम्मेदारी’ रहा। इसका समन्वय श्रीराम संवाद हुआ। सत्र का संचालन सरोज ने

- बिसाऊ पुलिस ने असम–बिहार तक दबिश देकर तीन साइबर ठगी को दबोचा, ठगी के मामले में पूछताछ जारी की**

की पड़ताल करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। पहले मामले में महनसर निवासी शीशराम ने 6 अपरात को बिसाऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 3 अपरात को उसकी पत्नी के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए उसके मुंह बोले भाई राजवीर की फोटो लगाकर संपर्क किया। आरोपी ने खुद को ऑस्ट्रेलिया से बोलना बताते हुए शादी का तोहफा पार्सल से भेजने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने बताया कि

चूरू



झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग में 25०० दिवस की सेवा पूरी होने पर रंगोली बनाकर उपभोक्ता जागरूकता का संदेश देते जागरूक उपभोक्ता व युवा।

अध्यक्ष बनने का अनूठा रिकॉर्ड – मनोज कुमार मील की उपलब्धि इसलिए भी विशेष बताई जा रही है कि सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उसी उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले देश के पहले और एकमात्र व्यक्ति होने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। अब सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में लगातार 25०० दिवस की सेवा–न्यायिक कार्यावधि पूरी करना भी उनके कार्यकाल की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि बन गया है। मील के कार्यकाल में उपभोक्ता न्याय को

केवल अदालत तक सीमित रखने के बजाय आमजन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। आयोग में न्याय टेबल, रात्रि उपभोक्ता चौपाल, उपभोक्ता न्यायोत्सव और अवकाश दिवस पर सुनवाई जैसे नवाचार किए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य आम उपभोक्ता को उसके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ

बनाना रहा।

इसी क्रम में प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता संसद के आयोजन को भी उनके

- झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के नाम अनूठी उपलब्धि, सदस्य रहे उसी आयोग में अध्यक्ष बनने वाले देश के पहले व्यक्ति का दावा, जागरूक उपभोक्ताओं ने रंगोली बनाकर आभार जताया**

कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण को जनजागरूकता से जोड़ते हुए खरीदारी के समय बिल लेने, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी प्रकार की अनुचित स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। 3.5० लाख लोगों को दिलाई उपभोक्ता अधिकारों की शपथ – उपभोक्ता न्यायोत्सव के तहत करीब 3.5० लाख लोगों को उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई।

एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस ने ‘काला दिवस’ मनाया

- सीईसी ज्ञानेश कुमार का पुतला फूका, राहुल गांधी व इंडिया गठबंधन के सांसदों से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में आक्रोश जताया**

साथ किया जाना चाहिए। झुंझुनूं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजमत अली ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के साथ हुआ कथित दुर्व्यवहार संविधान और लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आवाज उठाती रहेगी। नगर परिसद सभापति अब्दुल्ला अगवान ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसद लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया जाना

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

चिड़ावा (निसं)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को चिड़ावा में भी देखने को मिला। राहुल गांधी, प्रियंका वाड़ा सहित कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व पिलानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पितराम सिंह काला, चिड़ावा पालिकाध्यक्ष सुमित्रा सैनी एवं पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा ने किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट एवं तलत व्यवहार किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

वक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते हुए वोटों की चोरी के आरोप लगाए और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस का विरोध मार्च, पुतला दहन

चूरू (कासं)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार को चूरू जिला कांग्रेस कमेटी तथा चूरू शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के संयुक्त तत्वावधान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित आपणी योजना कार्यालय के पास विरोध मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई।विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए चूरू जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में मताधिकार की रक्षा और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग में अन्य आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार कर निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे का उल्लेख करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग

वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रेजेंटेशन दिया

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी। मोहिनी देवी गोयनका महिला महाविद्यालय में गुरुवार को वनस्पति विज्ञान विभाग और जीव विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। जैव विविधता का महत्व, इसके प्रकार, इसके विनाश के कारण, और संरक्षण के उपायों, वन्यजीवों का संरक्षण जलीय जीवों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता पर इसका प्रभाव आदि पर छात्राओं ने विचार अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर छात्राओं के एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें गिद्धों के संरक्षण और उनके विलुप्त प्रजाति को बचाए जाने के प्रयासों की जानकारी दी गई। जीव विज्ञान के प्रवक्ता पंकज बराडिया ने जैव विविधता के लिए किए जा रहे विश्व स्तर पर प्रयासों की जानकारी छात्राओं को दी।

आशा के अंदरल

प्रथम सं. 7 (रेंजिंग निमन 21) कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सर्वजनिक प्रशासन अभिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अन्तर्गत नोटिस समस्त सचिवायित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

पुक्कदमा सं. 22२9/2026
चुंकि प्राथी श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री रिचपाल सिंह निवासी 1०/१7० मिग मी. न्यू हाऊसिंग बोर्ड, पुलिस लाइन के पास झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान ने सर्वजनिक प्रयास अभिनियम 1९59 की धारा 17(1) के अन्तर्गत समय विकास संस्थान झुंझुनूं तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान के सम्बन्ध में जांच कियी जाने के लिए आवेदन-पत्र दित है ।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रयास विवकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उत्त प्रयास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हों प्रस्तुत करें ।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो एक आवेदन-पत्र निगमित रीति से निर्गित किया जायेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्पक्ष अतिरिक्षित किया जावेगा।

आज दिनांक ०7/1०/2०26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अर्धन जारी किया गया ।
15.12.2०2६
सहायक आयुक्त (क्षेत्रीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय:- सदस्य सचिव, रा.मे.रि.सो. राजकीय डी. बी. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, चूरू
Email:- msdbhchuru@gmail.com, Phone: ०1562-250333
क्रमांक-/लेखा/विज्ञापन/2026-27/1/4९5 दिनांक-30.9.26

इस चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रबन्धीय कार्य सम्पादन हेतु 500००/- रु प्रतिमाह की दर से एक कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने हेतु योग्य अग्रार्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अग्रर्थी को न्यूनतम वांछित योग्यता MBA in Hospital management होनी आवश्यक है। आवेदन पत्र साधारण पत्र पर योग्यता दस्तावेज की प्रति सहित इस कार्यालय में दिनांक 12.1०.2०26 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं अन्य शर्तें एवं विस्तृत विवरण इस कार्यालय में उपरिस्थ होकर अथवा वेबसाईट <http://medicaleducation.rajasthan.gov.in/mochuru> पर देखी जा सकती है।

सदस्य (RMRS) राजकीय डी.बी. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, चूरू
DIPR/C/17384/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत चूरू
क्रमांक:- 33० दिनांक - 29/9/26
ई-निविदा सूचना संख्या 06/2026-27

इच्छुक निविदादाताओं से जिला चूरू में आरयूडी कार्य (नियमानुसार दोष निवारण व सुधार अवधि) कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 647.53 लाख की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य के निविदा प्रपत्र दिनांक 21.1०.2०26 सांय: 6.00 बजे तक ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विवरण राज्य सरकार के प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> व विभागिय वेबसाईट <http://pwd.rajasthan.gov.in> पर देखे जा सकते है।

NIB No.- PWD2627A3079
UBN No:- PWD2627WL0B13920
अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि वृत चूरू
DIPR/C/173195/2026

राजस्थान सरकार कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सुजानगढ़
E-Mail : eesuj.chu.phed@rajasthan.gov.in
नौलासी सुचना 02/2026-27
क्रमांक-अ.अ/जन. स्वा/विज्ञा/26/27 दिनांक -:

राजस्थान के राजधानी महोदय की ओर से इस खण्ड के अधीनस्थ ग्रामीण उपखण्ड सुजानगढ़ के अधीन ग्राम लोहराव ने वर्ष 1९88-89 मे निर्मित जीएलएच को विभागिय परि - सम्यतो को सामाजिक नीलामी द्वारा निस्कारित किया जाना है। की नीलामी "जहां है जैसा है" के आधार नीलामी निस्मित द्वारा दिनांक 12.1०.26 को दोपहर 1.०० बजे खुली बोली द्वारा विभागीय परि - सम्यतिया सतिशित की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 12.1०.2०26 को दोपहर 1.०० बजे नीलामी में भाग ले सकते हैं। सफल बोलीदाता को नीलामी राशि का 25 प्रतिशत तत्काल एवं शेष राशि सात दिवस की अवधि मे जमा करवाना होगा। नीलामी उत्तरांत सफल बोलीदाता को अपने खर्च पर विभागीय परिसमयितो का सात दिवस में निस्तारण करना होगा। नीलामी समिति को नीलामी स्थगित करने एवं रद्द कर देने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्र.सं. **विभागिय परि-सम्यतियो की संख्या** **प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि** **नीलामी की दिनांक** **युबीएन न.**

1. 1 0.2 लाख 12.1०.2०26

(केनाथ चन्द माली) अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग, खण्ड-सुजानगढ़

DIPR/C/17377/2026